विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 49 रायपुर, दिनांक : 15 MAY 2026

प्रति,

1. Vedanta Vatika,
M/s Raja Vatika,
Authorized Representative - Shri Ashish Purankar,
Jarway, Hirapur, Raipur (C.G.)
Mob.No. - 8370049999, 9993097820

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर),
छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 13 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर शहर द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त–दो, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., गुढ़ियारी, रायपुर ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– सतर्कता जांच पश्चात प्रेषित पूरक देयक राशि के संबंध में ।

प्रकरण क्रमांक / 13 / रायपुर / 2026

Vedanta Vatika, ...आवेदक
M/s Raja Vatika,
Authorized Representative - Shri Ashish Purankar,
Jarway, Hirapur, Raipur (C.G.)
Mob.No. - 8370049999, 9993097820

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 15 / 05 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक M/s Vedanta Vatika द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 27.04.2026 यह है कि –

Facts of the case :-

(i) The electricity connection bearing No. 1002359650 stands in the name of Late Surjeet Singh Bhatia who expired on 03.12.2021.

(ii) A project for plotting development of a residential colony named Vedanta Vatika is being developed by M/s Raja Vatika.

(iii) A vigilance inspection was allegedly carried out on 15.05.2025, and a panchnama was prepared alleging misuse of an agricultural connection bearing Electricity Connection No. 1002359650 for construction purposes.

(iv) Based on the said panchnama, the respondent has raised a retrospective demand from June 2024 to May 2025, without any legal basis against deceased persons and the project promotors is asked to pay illegitimate demand of Rs. 21,20,257/- and electricity connection was disconnected. A representation was made to concerned

authority for quashing the demand and the appellant was asked to pay 50% of the demand and it was assured that remaining wrong demand will be corrected in records.

(v) The appellant has already paid 50% of the demanded amount under protest to avoid coercive action.

(vi) A representation dated 20.08.2025 was submitted before the Executive Engineer, which remains undecided till date.

Grounds of Challenge - The impugned demand is illegal, arbitrary and liable to be quashed on the following grounds:-

A. No basis for retrospective assessment – The demand has been raised for the period June 204 to May 2025 whereas -

* The panchnama only records inspection on 15.05.2025

* No evidence exists to establish alleged misuse for the entire period,

Thus the demand is based on assumptions and conjectures.

B. Invalid and defective Panchnama –

* The panchnama is not signed by any authorized representative of the appellant

* Inspection was conducted behind the back of the user

* Violates principles of natural justice

* The vigilance inspection was conducted without proper procedure and no independent witnesses were present.

* No opportunity of hearing was given before raising the assessment.

* The allegations in inspection report are incorrect and not supported by evidence.

* Meter was functioning properly; no tampering or unauthorized use.

* Assessment is excessive, arbitrary, and not as per rules.

* Hence the entire demand based on such panchnama is invalid.

रायपुर (शहर)

C. Demand Raised in Name of Deceased Person –

* The connection is in the name of Late Surjeet Singh Bhatia (expired on 03.12.2021)

* Demand raised against a deceased person is void ab initio and unenforceable in law

D. Incorrect Load Assessment -

* Load of 21159 watts was recorded only on 15.05.2025

* Temporary and intermittent usage ignored.

  * Lift used only for 1 month

  * Cutter used only for 2 months

  * AC installed only in April 2025

* Dairy connection ceased in May 2025

Thus, load has been wrongly assumed as continuous inflating demand.

E. Existence of Valid Temporary Connection –

* A temporary connection was already taken for construction purposes

* Therefore, allegation of misuse is factually incorrect

G. Violation of Natural Justice –

* No prior notice or hearing before raising demand

* Representation dated 20.08.2025 not decided

H. Harassment and abuse of monopoly Position –

* Electricity being an essential service, denial of new connections to residents:

  * Is arbitrary and illegal

  * Causes hardship to multiple house owners

Consequences of illegal demand –

* Development of Vedanta Vatika project severely affected

* New electricity connections to residents illegally withheld

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

* Financial loss despite payment of infrastructure and supervision charges

Prayèr :- In view of the above it is most respectfully prayed that this Hon'ble Forum may kindly:-

(a) Quash and set aside the impugned assessment bill raising demand of Rs. 21,20,257/-

(b) Alternatively, revise and reduce the demand based on actual and proven usage

(c) Direct the respondents to withdraw excess charges levied at double tariff

(d) Stay on recovery till disposal of appeal

(e) Direct immediate release of electricity connections to :-

* Raja Vatika

* Other house owners in the colony

(f) Direct disposal of pending representation dated 20.08.2025

(g) Grant refund/adjustment of excess amount already paid under protest

(h) Pass any other order deemed fit in the interest of justice

Interim Relief (if required) :- Pending disposal of this appeal it is prayed that :

* No coercive action be taken

* Supply and new connections shall not be withheld.

* Stay the balance demand of 50% till disposal of appeal.

Declaration - The appellant declares that the matter has not been decided by any other forum and is maintainable before this Hon'ble authority.

2. यह कि उत्तरवादी प्रतिनिधि सहायक अभियंता टाटीबंध जोन, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 058 दिनांक 04.05.2026 को सूचित किया है कि :–

"यह कि छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका क्रमांक 11.54 के परिपालन में कार्यपालन अभियंता, सतर्कता कार्या. अधीक्षण अभियंता

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

नगर वृत्त–दो, रायपुर के द्वारा दिनांक 15.05.2025 को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की जॉच की गई जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा बी.पी.क्रमांक 1002359650 स्वीकृत भार 3000 वॉट, स्वीकृत प्रयोजन कृषि अलाईड एवं बी.पी. क्रमांक 1006794127 स्वीकृत भार 10 अ.श. स्वीकृत प्रयोजन कृषि अलाईड का उपयोग नये कॉलोनी के निर्माणाधीन कार्य हेतु वेदांत वाटिका कॉलोनी गैर घरेलू अस्थायी प्रयोजन में किया जाना पाया गया तथा परिसर में उपलब्ध उपकरणों का भार 21159 वॉट है, पायी गई अनियमितता के विरूद्ध कार्यपालन अभियंता द्वारा उपरोक्ता उपभोक्ता का पंचनामा क्रमांक 3330/004 दिनांक 15.05.2025 तैयार किया गया तथा फर्म के गवाह के रूप में अधिकृत वेदांत वाटिका के मैनेजर श्री पंकज प्रधान के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया है ।"

पाये गये अनियमितता के विरूद्ध कम्पनी द्वारा पंचनामा में उल्लेखित दोनों कृषि अलाईड विद्युत कनेक्शनों बी.पी.क्रमांक 1002359650 एवं 1006794127 जिनका उपयोग उपभोक्ता के द्वारा गैर घरेलू अस्थायी के रूप में उपयोग किया जा रहा था कि संयुक्त खपत को विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका क्रमांक 11.10 के प्रावधानों के अनुसार 12 माह एवं कंडिका क्रमांक 11.12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भिन्न उद्देश्य का उपयोग पाये जाने पर पाये गये उद्देश्य के टैरिफ दर पर दोनों भिन्न उद्देश्यों की वास्तविक खपत को संयुक्त कर दुगुने दर पर अतिरिक्त मांग का देयक जारी किया गया जिसकी राशि रूपये 21,20,257/– है । उपभोक्ता को जारी किये गये अतिरिक्त मांग पत्र को विशेष वाहक से प्रेषित कर उपभोक्ता को अवगत कराया गया परन्तु उपभोक्ता के द्वारा अस्थायी अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में रूचि नहीं दिखाई गई ।

उपभोक्ता को उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 0452 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा भुगतान करने हेतु पुनः निवेदन किया गया परन्तु उपभोक्ता के द्वारा भुगतान नहीं किया गया ।

उपभोक्ता द्वारा संभागीय कार्यालय न.सं.उ. रायपुर से संपर्क करने पर कंपनी के नियमानुसार जारी मांग पत्र का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान एवं 01 प्रतिशत की अपील राशि जो कि न्यूनतम 500 एवं अधिकतम 10,000/– तक हो सकती है, की भुगतान एवं उपयोग के संदर्भ में वैध साक्ष्य जमा कराने पर कंपनी के नियमानुसार कार्यवाही की जाने की जानकारी उपलब्ध करायी गई है, जिसका उल्लेख उपभोक्ता द्वारा शिकायत में संलग्न दस्तावेज में किया गया है ।

रायपुर (शहर)

उपभोक्ता द्वारा दिनांक 25.08.2026 को जारी मांग पत्र की 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया गया परन्तु 01 प्रतिशत अपील की राशि रूपये 10,000/– का भुगतान नहीं होने तथा पूर्व के आवेदन में केवल अपने तथ्यों को लिखा गया था तथा उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूर्व आवेदन को संभागीय कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक 2828 दिनांक 29.09.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को वापस कर दिया गया है । उपभोक्ता द्वारा लंबित 01 प्रतिशत अपील की राशि रूपये 10,000/– को दिनांक 23.04.2026 को भुगतान कर पुनः अस्थायी अर्थदण्ड की राशि के संशोधन के संबंध में आवेदन नहीं दिया गया है तथा उपरोक्त अस्थायी अर्थदण्ड को निरस्त कराने हेतु सीधे माननीय फोरम के समक्ष शिकायत की गई है ।

चूँकि पूर्व से ही उपभोक्ता का आवेदन अपील की राशि एवं उपयोग के संदर्भ में साक्ष्यों के अभाव के कारण आवेदन पूर्व से ही वापस किया जा चुका है तथा कंपनी द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति संहिता के नियमानुसार ही अस्थायी अर्थदण्ड की राशि का निर्धारण किये जाने के कारण उपरोक्त अस्थायी अर्थदण्ड की राशि में किसी भी प्रकार से सुधार किया जाना संभव नहीं है, अतः प्रकरण का जवाबदावा आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय फोरम के समक्ष सादर प्रस्तुत है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 07.05.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की समीक्षा उपरान्त तथा निम्नानुसाार है :–

3. यह कि ग्राम जरवाय, हीरापुर रायपुर स्थित आवेदक के परिसर में गुरमीत सिंग भाटिया के नाम पर 2.0 कि.वा. भार का अस्थायी गैर घरेलू कनेक्शन वेदांता वाटिका नामक निर्माणाधीन आवासीय कालोनी में बी.पी.क्रमांक 1009225235 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदायित है । इसी परिसर में बी.पी.क्रमांक 1002359650 (सुरजीत सिंह भाटिया) के माध्यम से कृषि सहवर्ती श्रेणी का 3.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन एवं बी.पी.क्रमांक 1006794127 (साजू संदीप सैमुएल) के माध्यम से कृषि सहवर्ती श्रेणी का 10 अश्वशक्ति भार का विद्युत कनेक्शन भी उत्तरवादी द्वारा प्रदायित है । दिनांक 15.05.2025 को उत्तरवादी के सतर्कता दल द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002359650 एवं बी.पी.क्रमांक 1006794127 का उपयोग गैर घरेलू उपयोग (भवन निर्माण कार्य के लिए) किया जाना पाया गया । स्थल पर तैयार स्थल निरीक्षण प्रपत्र में परिसर का कुल लोड 21159 वाट पाया गया । इस निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर उत्तरवादी के

राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

सहायक यंत्री द्वारा आवेदक को राशि रू. 2120257.00 का पूरक देयक प्रेषित किया गया एवं परिसर का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया । आवेदक के अनुसार उसके द्वारा पूरक देयक राशि का 50 प्रतिशत जमा करते हुए दिनांक 20.08.2025 को अपील प्रकरण उत्तरवादी के कार्यपालन यंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन आज दिनांक उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है ।

4. यह कि अपने परिसर स्थित दो नग विद्युत कनेक्शनों का उपयोग भवन निर्माण संबंधी कार्य में करते हुए विद्युत का अनाधिकृत उपयोग किए जाने के आधार पर उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि रू. 2120257.00 का पूरक देयक प्रेषित किये जाने, परिसर का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए जाने एवं इस संबंध में अपील प्रस्तुत किए जाने पर भी इसका कोई उचित निराकरण न किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 58 दिनांक 04.05.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि दिनांक 15.05.2025 को कार्यपालन अभियंता सतर्कता, कार्या. अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त–2, रायपुर द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें उपभोक्ता द्वारा कृषि सहवर्ती विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002359650 . एवं बी.पी.क्रमांक 1006794127 का उपयोग गैर घरेलू उपयोग में किया जाना पाया गया । सतर्कता दल द्वारा तैयार किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर आवेदक को नियमानुसार रू. 2120257.00 का पूरक देयक जारी किया गया है ।

उत्तरवादी के अनुसार आवेदक द्वारा पूरक देयक राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान दिनांक 25.08.2026 को कर दिया गया था लेकिन अपील प्रकरण के लिए आवश्यक 1 प्रतिशत अपील राशि का भुगतान दिनांक 23.04.2026 को किया गया है । इसके बाद आवेदक द्वारा अस्थायी अर्थदंड की राशि में संशोधन किए जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

6. यह कि प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 07.05.2026 के पूर्व दिनांक 06.05.2026 को आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत पत्र मे यह लेख किया गया है कि उत्तरवादी के सहायक यंत्री द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रेषित पूरक देयक राशि से असंतुष्ट होकर उसके द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

गयी है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । अतः उसके द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत वापस ली जा रही है ।

7. यह कि फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत दिनांक 27.04.2026, आवेदक द्वारा स्वयं की इच्छा से वापस लिए जाने के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

8. आदेश पारित ।

9. प्रकरण निराकृत ।

10. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)